

:: आदेश ::

शासनादेश संख्या-2173/XVIII(II)/2012-18(120)/2010 दिनांक 17-12-2012 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे सन्दर्भित शासनादेश में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि हस्तान्तातरण के मामलों में जनपदों द्वारा चिह्नित/प्रस्तावित सिविल सोयम भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित/नामान्तरित किये जाने का प्राधिकार जिले के भीतर जिलाधिकारियों को प्रतिनिधायित किया गया है।

शासनादेश संख्या 881 XVII(2)/2009 दिनांक 01-04-2009 के तहत जनपद से प्रस्तावित 757.226 हे० भूमि के सापेक्ष 537.868 हे० भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिह्नित की गयी है तथा अवशेष 219.358 हे० भूमि प्रस्तावित है। वर्तमान में तहसील दुण्डा से 262.181 हे० भूमि तथा तहसील बडकोट से 43.399 हे० कुल 310.580 हे० भूमि प्रस्तावित की जा रही है। उपरोक्त शासनादेश संख्या-2173/XVIII(II)/2012-18(120)/2010 दिनांक 17-12-2012 के अनुसार पूर्व में प्रस्तावित 219.358 हे० भूमि तथा नवप्रस्तावित 310.580 हे० भूमि कुल 529.938 हे० भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु अधोहस्ताक्षरी द्वारा वन विभाग के नाम नामान्तरित की जा सकती है।

अतः उपरोक्तानुसार पूर्व में प्रस्तावित 219.358 हे० भूमि तथा नवप्रस्तावित 310.580 हे० भूमि कुल 529.938 हे० भूमि को उपरोक्त कार्य हेतु वन विभाग के नाम नामान्तरण करने का अनुमोदन दिया जाता है।

(डा० आर० राजेश कुमार)
जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

कार्यालय जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

संख्या: R-49/पी०ओ०-2013

दिनांक जनवरी, ०४, 2013।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- प्रमुख सचिव, राजस्व, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- समस्त उप जिलाधिकारी जनपद उत्तरकाशी।
- 3- संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी, जनपद उत्तरकाशी।
- 4- संबंधित विभागीय अधिकारी, उत्तरकाशी।

जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।